

इंटरमीडिएट कोर्स
अध्ययन सामग्री
(माँड्यूल 1 और 2)

पेपर 3

कराधान

खंड – A: आयकर कानून
[वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित]
निर्धारण वर्ष 2026-27

(मई, 2026, सितंबर, 2026 और जनवरी, 2027
परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक)

माँड्यूल – 2



बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक)
द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

यह अध्ययन सामग्री बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) के संकाय द्वारा तैयार की गई है। अध्ययन सामग्री का उद्देश्य छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है ताकि वे विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकें। यदि छात्रों को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो या इसमें निहित सामग्री में और सुधार के लिए कोई सुझाव हो तो वे संयुक्त निदेशक, बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक) को लिख सकते हैं।

छात्रों के लिए उपयोगी तरीके से व्याख्याएं और चर्चाएं प्रदान करने का पूरा ध्यान रखा गया है। हालाँकि, अध्ययन सामग्री पर संस्थान की परिषद या इसकी किसी भी समिति द्वारा विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई है और इसमें व्यक्त विचारों को आवश्यक रूप से परिषद या इसकी किसी भी समिति के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं लिया जा सकता है।

इस सामग्री के किसी भी भाग के पुनरुत्पादन के लिए संस्थान की अनुमति आवश्यक है।

© द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रकाशक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रूप में, या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य किसी भी प्रकार से पुनरुत्पादित, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन का मूल प्रारूप CA (Dr.) रश्मि गोयल द्वारा तैयार किया गया था।

संपादन	:	जुलाई 2025
समिति/विभाग	:	बोर्ड ऑफ स्टडीज (अकादमिक)
ई-मेल	:	bosnoida@icai.in
वेबसाइट	:	www.icai.org
कीमत	:	₹ /- (सभी मॉड्यूल के लिए)
ISBN संख्या	:	
द्वारा प्रकाशित	:	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से प्रकाशन एवं CDS निदेशालय, ICAI भवन, पोस्ट बॉक्स संख्या 7100, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली 110002 (भारत)
मुद्रण	:	

Disclaimer

The Institute of Chartered Accountants of India has given the right of translation of the study material in Hindi to third parties and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original study material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer the English version.

अस्वीकरण

द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार तीसरे पक्ष को दिया है और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालाँकि मूल अध्ययन विषय-वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

विषय वस्तु

मॉड्यूल - 1

- अध्याय 1 : मूल-भूत संकल्पनाएँ
- अध्याय 2: निवास और कुल आय का दायरा
- अध्याय 3: आय के शीर्ष

मॉड्यूल - 2

- अध्याय 4 : करदाता की कुल आय में शामिल अन्य व्यक्तियों की आय
- अध्याय 5 : आय का एकत्रीकरण, समयोजन और घाटे को आगे ले जाना
- अध्याय 6 : सकल कुल आय से कटौती
- अध्याय 7 : अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह
- अध्याय-8 : आयकर रिटर्न और स्व-मूल्यांकन दाखिल करने के प्रावधान
- अध्याय 9 : आयकर देयता - गणना और अनुकूलन

विस्तृत विषय वस्तु: माँड्यूल - 2

खंड III..... 1 – 12

अवलोकन.....	1
परिदृश्य.....	2
क्रॉसवर्ड पहेली	11

अध्याय - 4: करदाता की कुल आय में शामिल अन्य व्यक्तियों की आय

अध्ययन परिणाम	4.1
अध्याय अवलोकन	4.2

विषय वस्तु:

1. आय का संयोजन - एक परिचय.....	4.3
2. अन्य व्यक्तियों की आय, जो करदाता की कुल आय में शामिल है.....	4.3
2.1 संपत्ति के हस्तांतरण के बिना आय का हस्तांतरण [धारा 60].....	4.3
2.2 परिसंपत्तियों के प्रतिसंहरणीय हस्तांतरण से प्राप्त आय [धारा 61]	4.4
3. व्यक्ति की कुल आय में शामिल अन्य व्यक्तियों की आय	4.5
3.1 पति / पत्नी को होने वाली आय को क्लब करना.....	4.5
3.2 बेटे की पत्नी को होने वाली आय को क्लब करना	4.11
3.3 नाबालिग की आय को क्लब करना [धारा 64(1A)]	4.12
4. क्रॉस ट्रांसफर	4.16

5.	स्व-अर्जित संपत्ति का हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में रूपांतरण [धारा 64(2)]	4.18
6.	आय में शामिल हानि	4.19
7.	धारा 61 और धारा 64 के बीच अंतर	4.19
	आइए हम पुनः दोहराएँ.....	4.20
	अपने ज्ञान का परीक्षण करें	4.24

अध्याय 5: आय का एकत्रीकरण, समयोजन और घाटे को आगे ले जाना

अध्ययन परिणाम	5.1
---------------------	-----

अध्याय अवलोकन	5.2
---------------------	-----

विषय वस्तु:

1.	आय का एकत्रीकरण	5.4
2.	घाटे के समयोजन और आगे ले जाने की अवधारणा	5.4
3.	अंतर स्रोत समायोजन [धारा 70]	5.4
4.	अंतर शीर्ष समायोजन [धारा 71]	5.6
5.	घर की संपत्ति से नुकसान का अग्रिम भुगतान और समायोजन [धारा 71B]	5.7
6.	व्यावसायिक घाटे को आगे ले जाना और समयोजन करना [धारा 72]	5.9
7.	सट्टा कारोबार में घाटा [धारा 73].....	5.12
8.	निर्दिष्ट व्यवसायों के घाटे को आगे ले जाना और समायोजन करना [धारा 73A]	5.13
9.	'पूँजीगत लाभ' शीर्षक के अंतर्गत हानियाँ [धारा 74]	5.14
10.	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव की गतिविधि से होने वाले नुकसान [धारा 74A(3)].....	5.15
11.	हानियों के समायोजन का आदेश	5.17

12. हानि की वापसी प्रस्तुत करना [धारा 80]	5.19
आइए हम पुनः दोहराएँ.....	5.20
अपने ज्ञान का परीक्षण करें	5.24

अध्याय 6: सकल कुल आय से कटौती

अध्ययन परिणाम.....	6.1
अध्याय अवलोकन	6.2

विषय वस्तु:

1. सामान्य प्रावधान.....	6.3
2. कुछ भुगतानों के संबंध में कटौती	6.10
2.1 विनिर्दिष्ट आस्तियों में निवेश की बाबत कटौती [धारा 80C]	6.10
2.2 कुछ पेंशन निधियों में योगदान के संबंध में कटौती [धारा 80CCC].....	6.23
2.3 केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में योगदान के संबंध में कटौती [धारा 80CCD].....	6.24
2.4 धारा 80C, 80CCC और 80CCD(1) [धारा 80CCE] के तहत कटौती की सीमा	6.28
2.5 अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती [धारा 80CCH].....	6.32
2.6 चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती [धारा 80D].....	6.33
2.7 आश्रित विकलांगता के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के संबंध में कटौती [धारा 80DD]	6.39
2.8 चिकित्सा उपचार आदि के संबंध में कटौती [धारा 80DDB].....	6.42
2.9 उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80E].....	6.43

2.10	किसी व्यक्ति द्वारा आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए कटौती [धारा 80EE].....	6.45
2.11	आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उधार लिए गए ऋण पर देय ब्याज के लिए कटौती [धारा 80EEA].....	6.47
2.12	इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर देय ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80EEB]	6.50
2.13	कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दान के संबंध में कटौती [धारा 80G].....	6.53
2.14	भुगतान किए गए किराए के संबंध में कटौती [धारा 80GG].....	6.60
2.15	वैज्ञानिक अनुसंधान और ग्रामीण विकास के लिए दान के संबंध में कटौती [धारा 80GGA]	6.61
2.16	कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती [धारा 80GGB].....	6.64
2.17	किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती [धारा 80GGC]	6.65
3.	कुछ आय के संबंध में कटौती.....	6.66
3.1	नए कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में कटौती [धारा 80JJAA].....	6.66
3.2	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कुछ पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय आदि के संबंध में कटौती [धारा 80QQB].....	6.71
3.3	पेटेंट पर रॉयल्टी के संबंध में कटौती [धारा 80RRB]	6.73
4.	अन्य आय के संबंध में कटौती.....	6.74
4.1	बचत खातों में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80TTA].....	6.74
4.2	वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती [धारा 80TTB].....	6.75
5.	अन्य कटौती	6.79

6. धारा 10AA के तहत कटौती.....	6.80
आइए हम पुनः दोहराएँ.....	6.88
अपने ज्ञान का परीक्षण करें.....	6.103

खंड IV 1 – 12

अवलोकन.....	1
परिदृश्य.....	2
क्रॉसवर्ड पहेली	11

अध्याय 7: अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह

अध्ययन परिणाम.....	7.1
अध्याय अवलोकन	7.3
विषय वस्तु:	
1. स्रोत पर कर की कटौती और अग्रिम भुगतान [धारा 190].....	7.4
2. प्रत्यक्ष भुगतान [धारा 191].....	7.4
3. स्रोत पर कर की कटौती	7.5
3.1 वेतन [धारा 192].....	7.5
3.2 प्रतिभूतियों पर ब्याज [धारा 193]	7.9
3.3 प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज [धारा 194A]	7.11
3.4 ऑनलाइन गेम से जीत [धारा 194BA]	7.17
3.5 ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को भुगतान [धारा 194C].....	7.19
3.6 कमीशन या ब्रोकरेज [धारा 194H]	7.25
3.7 किराया [धारा 194-I].....	7.28

3.8	भुगतान का कुछ व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किराया [धारा 194-IB]	7.32
3.9	पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क [धारा 194J].....	7.34
3.10	किसी व्यक्ति या HUF द्वारा अनुबंध कार्य के लिए या कमीशन या ब्रोकरेज या पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में किया गया भुगतान [धारा 194M]	7.40
3.11	नकद निकासी पर TDS [धारा 194N]	7.44
3.12	अन्य TDS प्रावधान.....	7.46
3.13	कर के बाद देय आय [धारा 195A].....	7.63
3.14	सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को देय ब्याज या लाभांश या अन्य राशियाँ [धारा 196]	7.64
4.	कम दर पर कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र [धारा 197]	7.64
5.	कुछ मामलों में कोई कटौती नहीं [धारा 197A]	7.65
6.	विविध प्रावधान	7.67
6.1	प्राप्त आय पर कर कटौती की जाती है [धारा 198]	7.67
6.2	स्रोत पर कर कटौती के लिए क्रेडिट [धारा 199].....	7.67
6.3	कर काटने वाले व्यक्ति का कर्तव्य [धारा 200]	7.68
6.4	TDS और अन्य विवरणों के कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण के दौरान अंकगणितीय गलतियों का सुधार और गलत दावे का समायोजन [धारा 200A]	7.68
6.5	कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम [धारा 201].....	7.70
6.6	कटौती योग्य कर का प्रमाण पत्र [धारा 203]	7.71
6.7	स्रोत पर काटे गए करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति [धारा 204].....	7.73
6.8	करदाता पर प्रत्यक्ष मांग पर रोक [धारा 205].....	7.74

6.9	\सभी TDS विवरणों, बिलों, वाउचरों और कटौतीकर्ता और कटौती प्राप्तकर्ता के बीच पत्राचार में पैन् प्रस्तुत करना अनिवार्य है [धारा 206AA]	7.74
7.	कर का अग्रिम भुगतान [धारा 207 से 219]	7.75
7.1	अग्रिम कर भुगतान की देयता.....	7.75
7.2	अग्रिम कर की गणना.....	7.76
7.3	अग्रिम कर और देय तिथियों की किस्में.....	7.78
7.4	अग्रिम कर के लिए क्रेडिट [धारा 219].....	7.79
7.5	अग्रिम कर का भुगतान न करने या कम भुगतान करने पर ब्याज [धारा 234B].....	7.79
7.6	अग्रिम कर के स्थगन के लिए देय ब्याज [धारा 234C]	7.80
8.	स्रोत पर कर संग्रह.....	7.82
	आइए हम पुनः दोहराएँ.....	7.101
	अपने ज्ञान का परीक्षण करें	7.124

अध्याय - 8: आय रिटर्न दाखिल करने और स्व-मूल्यांकन के प्रावधान

अध्ययन परिणाम	8.1
अध्याय अवलोकन	8.3
विषय वस्तु:	
1. आय की वापसी	8.4
2. आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य [धारा 139(1)].....	8.4
3. आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट पाने वाले व्यक्तियों का निर्दिष्ट वर्ग या वर्ग [धारा 139(1C)].....	8.10
4. हानि की वापसी [धारा 139(3)].....	8.10
5. विलंबित रिटर्न [धारा 139(4)].....	8.11

6.	संशोधित रिटर्न [धारा 139(5)]	8.11
7.	आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज [धारा 234A]	8.13
8.	स्व-मूल्यांकन [धारा 140A].....	8.15
9.	आय का अद्यतन विवरण [धारा 139(8A)]	8.16
10.	अद्यतन रिटर्न पर कर [धारा 140B]	8.18
11.	दोषपूर्ण रिटर्न [धारा 139(9)].....	8.24
12.	आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क [धारा 234F]	8.25
13.	स्थायी खाता संख्या (PAN) [धारा 139A].....	8.25
14.	आधार संख्या का उल्लेख [धारा 139AA].....	8.37
15.	कर रिटर्न तैयारकर्ताओं के माध्यम से रिटर्न जमा करने की योजना [धारा 139]	8.41
16.	आय विवरणी सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति [धारा 140].....	8.44
	आइए हम पुनः दोहराएँ.....	8.48
	अपने ज्ञान का परीक्षण करें	8.57

खंड V 1 – 16

अवलोकन.....	1
परिदृश्य	3

अध्याय - 9: आयकर देयता - गणना और अनुकूलन

अध्ययन परिणाम.....	9.1
अध्याय अवलोकन	9.2

विषय वस्तु:

1. कुल आय का अर्थ	9.3
2. व्यक्तियों की कुल आय की गणना करते समय विचार की जाने वाली आय	9.3
3. किसी व्यक्ति द्वारा देय कुल आय और कर की गणना	9.4
4. वेतन आय के संबंध में कर नियोजन	9.20
अपने ज्ञान का परीक्षण करें.....	9.30
खंड III के परिदृश्य और क्रॉसवर्ड पहेली के उत्तर	1-13
खंड IV के परिदृश्य और क्रॉसवर्ड पहेली के उत्तर.....	14-26
खंड V के परिदृश्य के उत्तर.....	27-39